(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4246-पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 07-06-2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा जिला शाजापुर प्रकरण क्रमांक अ-68/2013-14

बालचंद पिता दयाराम
निवासी खेरिया सोयत तहसील सुसनेर
जिला आगर मालवा म.प्र.
.....आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला आगर
2. श्रीमान उप तहसीलदार सोयतकलॉ
   तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा म.प्र.
.....अनावेदकगण

श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 एवं 237 सहपठित धारा 234 व धारा 32 के अंतर्गत नायब तहसीलदार टप्पा जिला शाजापुर द्वारा पारित दिनांक 07-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम खेरिया सोयत स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 181 रकबा 0.310 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 168 रकबा 1.040 हेक्टेयर भूमि पर आवेदक द्वारा वर्ष 2013-14 में अतिक्रमण किये जाने के कारण नायब तहसीलदार शाजापुर द्वारा आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा जारी इसी कारण बताओ सूचना पत्र यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सूचना पत्र देने के बाद कोई कार्यवाही किये बिना, बेदखली का आदेश पारित न्यायिक सिद्धात के विपरीत आदेश पारित किया है । यह भी कहा गया कि यह भूमि संहिता की धारा 237 के अंतर्गत खलिहान के लिये सुरक्षित है और आवेदक के अतिरिक्त ग्राम के अन्य लोग भी इस भूमि पर खलिहान करते हैं । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को आवेदक का आधिपत्य हटाये जाने का कोई अधिकार नहीं था । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर को यह अधिकार नहीं है कि धारा 237 में जो भूमियां खलिहान के लिए सुरक्षित हों, उसे नोईयत परिवर्तन करके अन्य व्यक्ति को दे दी जाये । यह भी कहा गया कि आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत तहसील न्यायालय को न्यायोचित आदेश पारित करना था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि बिना संहिता की धारा 248 का आदेश पारित किये आवेदक को बेदखल नहीं किया जा सकता था ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय द्वारा उक्त अभिलेख की मांग किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा ऐसा कोई प्रकरण दर्ज नहीं होने का उल्लेख, मांग पत्र में किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र का कोई महत्व नहीं होने से यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है, लेकिन तहसील स्तर पर इस प्रकार की कार्यवाही पूरी तरह संदेहास्पद होकर आवेदक को अवैध तरीके से पेरशान करना परिलक्षित होता है । अतः इस आदेश की प्रति के साथ तहसील न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र, तहसील न्यायालय का पत्र, जिसमें कोई प्रकरण दर्ज नहीं होने का उल्लेख किया गया है, की प्रति संलग्न कर कलेक्टर को सम्बन्धित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर मंडल को 15 दिवस में सूचित करने के लिए भेजी जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर